

/आदेश/

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2011-12 की कण्डिका 5 में निहित निर्देश के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलम क्रं.-2 में उल्लेखित शिक्षक संवर्गीय कर्मचारियों का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम-6 में अंकित जिले में किया जाता है:-


स.क्रं.	नाम एवं पदनाम	यूनिक आई. डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	श्री मुन्नालाल जैन, सहा.शिक्षक	AH-4844	शा.प्रा.शाला मोघर जिला छिन्दवाड़ा	23431118501	इन्दौर
2.	श्रीमती विनोद वाला जैन, सहा.शिक्षिका,	AY- 5277	शा.प्रा.कन्या शाला राहतगढ़ जिला सागर	23110800103	रायसेन
3	श्रीमती संध्या सदन शिव, सहा.शिक्षिका,	AT- 6117	शा.मा.वि.हाईस्कूल थाना जिला रायसेन	23340423804	भोपाल
4	श्रीमती तुलसा यादव, सहायक शिक्षिका	AB- 1139	शा.क.मा.शाला शाहगंज तह.बुदनी जि.सीहोर	23330277706	भोपाल
5.	श्रीमती रूपमती अलावा, उ.श्रे.शिक्षक	AK- 8536	शा.उ.मा.वि.क्रं.2 मुरार जिला ग्वालियर	23040577708	धार
6.	श्रीमती उमादेवी उपाध्याय, सहा.शिक्षक	BG- 7440	शा.प्रा.वि.आदर्श जिला भिण्ड	23030419801	ग्वालियर
7.	श्रीमती मधु शर्मा, सहायक शिक्षिका	BE- 9333	शा.मा.शाला माधवगंज क्रं. 2 जिला विदिशा	23310722502	भोपाल
8.	श्रीमती ऊषा नरोन्हा, सहायक शिक्षिका	BM- 7064	शा.क.प्रा.वि.नागदा तह. बदनावर जिला धार	23250109918	इन्दौर
9.	श्रीमती करुणा देवी सिकरवार, सहा.शिक्षिका	AY- 3623	शा.मा.क.शाला केसली जिला सागर	23110700102	इन्दौर
10	श्री अनिल कुमार चावड़ा, सहा.शि.वर्तमान में जन शिक्षक	BA 3824	विकासखण्ड स्रोत समन्वयक महिदपुर जि. उज्जैन	232106OBS02	इन्दौर
11	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, सहायक शिक्षक	BA- 6806	शा.प्राथमिक विद्यालय ईच्छापुरा जिला श्योपुर	23010913901	मुरैना
12.	श्री मुलचंद निनामा, शिक्षक	AQ- 9035	शा.मा.वि.मानपुरा संकुल श्री राम उ.मा.वि.सीतामऊ जिला मंदसौर	23190809003	रतलाम
13.	श्रीमती प्रेमलता रघुवंशी, सहायक शिक्षिका	AM- 2236	शा.प्रा.शाला नयायार्ड इटारसी जिला होशंगाबाद	23370322407	कटनी
14.	श्रीमती कमल शुक्ला, सहायक शिक्षक	AI- 5113	शा.प्रा.वि.भैरव मंदिर जिला दतिया	अप्राप्त	ग्वालियर

15.	श्रीमती अनिता सिंह, प्रधान अध्यापक	AN- 5721	शा.मा.शाला जुहिला वि. एवं जि.कटनी	23380210403	बालाघाट
16.	श्री सिप्ते हसन रिजवी सहायक शिक्षक	AH- 7980	शा.प्राथ.शाला जोरतला खुर्द, जिला दमोह	23120308201	उज्जैन
17.	श्रीमती विजयलक्ष्मी दीक्षित,सहा. शिक्षिका,	AP-4754	शा.क.मा.वि.सनावदवि.खं. बड़वाह जिला खरगौन	23271327615	इन्दौर
18.	श्री मन्जूर एहमद नागोरी,सहा. शिक्षक,	BE-3075	शा.प्रा.वि.अमरपुरा जिला देवास	23230419301	उज्जैन
19.	श्री प्रदीप कुमार खरे, सहायक शिक्षक,	AT-2525	शा.प्रा.शाला हरिजन बस्ती रैपुरा जिला पन्ना	23100512307	सागर
20.	सत्यभान अग्निहोत्री, सहायक शिक्षक,	BB-8989	शा.पूर्व मा.वि.बड़ेसर सं.शा .उमावि खडडी जि.सीधी	23170518901	रीवा
21.	श्री प्रभुलाल पाटीदार, सहा.शिक्षक,	BH-2449	प्रा.वि.चिकलेरा बागली जिला देवास	23230419901	इन्दौर
22.	श्रीमती कमला सोनी, सहायक शिक्षिका,	AX-5717	शा.प्राथ.वि.दत्तपाड़ा घटिया जिला उज्जैन	23210201410	इन्दौर
23.	श्री हरिओम व्यास, सहा.शि. (जनशिक्षक)	BA-5060	शा.मा.वि.श्यामपुरा वि.खं. सुसनेर जि.शाजापुर	232203OBS02	उज्जैन
24.	श्री शिवराम मुजाल्दे, प्र.अ.	BR-6336	शा.क.मा.शा.अमलाहा वि. खं.इछावर जिला सीहोर	23330304308	खरगौन
25.	श्रीमती प्रतिभा देवी शर्मा,सहायक शिक्षक	BC-2994	शा.क.पू.मा.वि.डढ़िया संकुल केन्द्र शा.उमावि डढ़िया वि.खं.रामपुर नैकिन जिला सीधी	23170515303	रीवा
26.	श्रीमती सुनीता करवड़िया सहा.शि.	AU-9594	शा.प्राथ.वि.गंज जि.राजगढ़	23300137807	होशंगाबाद
27.	श्रीमती सरोज शर्मा,स.शि.	AW-4948	शा.पू.मा.वि.क.माड़ौ जि.रीवा	23140423304	विदिशा
28.	श्रीमती सपना जैन,प्र.अ.	BH-8989	शा.पू.मा.वि.सांखी तह.ब्यौहारी जि.शहडोल	23160202801	दमोह
29.	श्री नवनीत शर्मा,सहा.शि.	AL-1132	शा.प्रा.वि.जयेन्द्रगंज लश्कर जि.ग्वालियर	23040508204	बैतूल
30.	श्री सुरेश चन्द्र जाटव, सहा.शिक्षक	AK-8575	शा.प्रा.वि.खुरैरी (मुरार) जि. ग्वालियर	23040405701	जबलपुर
31.	श्री एम.एल.पचौरी, प्र.अ.	AR-8545	शा.बा.मा.शाला डोभी जि. नरसिंहपुर	23400609303	भोपाल

- 2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।
- 3/ उक्त स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- 4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे।
- 5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटि/विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध, कोई विभागीय जॉच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी को

कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।


- 6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख, स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होंगे।
- 7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2011-12 की कंडिका-9.18 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश है अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें एवं कण्डिका 9.24 के अनुरूप किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।
- 8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ति उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयावधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।


आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 05/09/2011

पृ. क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./35 /2011/1834
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय-भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, मान.मंत्री महोदया, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. निज सचिव, मान.राज्यमंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
5. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. कलेक्टर, जिला-छिन्दवाड़ा, इन्दौर, सागर, रायसेन, भोपाल, सीहोर, ग्वालियर, धार, भिण्ड, विदिशा, उज्जैन, श्योपुर, मुरैना, मंदसौर, रतलाम, होशंगाबाद, कटनी, दतिया, बालाघाट, दमोह, खरगौन, देवास, पन्ना, शाजापुर, सीधी, राजगढ़, होशंगाबाद, रीवा, शहडोल, बैतूल, जबलपुर एवं नरसिंहपुर म.प्र.।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला -छिन्दवाड़ा, इन्दौर, सागर, रायसेन, भोपाल, सीहोर, ग्वालियर, धार, भिण्ड, विदिशा, उज्जैन, श्योपुर, मुरैना, मंदसौर, रतलाम, होशंगाबाद, कटनी, दतिया, बालाघाट, दमोह, खरगौन, देवास, पन्ना, शाजापुर, सीधी राजगढ़, होशंगाबाद, रीवा, शहडोल, बैतूल, जबलपुर एवं नरसिंहपुर म.प्र.।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
9. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- छिन्दवाड़ा, इन्दौर, सागर, रायसेन, भोपाल, सीहोर, ग्वालियर, धार, भिण्ड, विदिशा, उज्जैन, श्योपुर, मुरैना, मंदसौर, रतलाम, होशंगाबाद, कटनी, दतिया, बालाघाट, दमोह, खरगौन, देवास, पन्ना, शाजापुर, सीधी राजगढ़, होशंगाबाद, रीवा, शहडोल, बैतूल, जबलपुर एवं नरसिंहपुर म.प्र.।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
10. सहायक संचालक, समन्वय (स्थानीय) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री.....
-----की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


आयुक्त 5.9.11
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश